बिल का सारांश

लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2016

- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने 27 जुलाई, 2016 को लोकसभा में लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया।
- बिल लोक सेवकों के एसेट्स और देनदारियों की घोषणा के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 में संशोधन करता है। बिल के प्रावधान पूर्व प्रभाव से, 2013 एक्ट के अमल में आने की तारीख से लागू होंगे।
- लोकपाल एक्ट में एक लोक सेवक से अपनी, अपनी पत्नी या पति और अपने बच्चों के एसेट्स और देनदारियों की घोषणा करने की अपेक्षा की गई है। कार्यभार संभालने के 30 दिनों के भीतर उसे सक्षम अथॉरिटी के समक्ष यह घोषणा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लोक सेवक को हर वर्ष 31 जुलाई तक इन एसेट्स और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न फाइल करना चाहिए। लोकपाल एक्ट यह निर्देश भी देता है कि संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक इस घोषणा से संबंधित स्टेटमेंट पब्लिश होने चाहिए।
- बिल इन प्रावधानों में परिवर्तन करता है और कहता है कि लोक सेवक को अपने एसेट्स और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। लेकिन ऐसी घोषणाएं करने के स्वरूप और तरीके का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियंका राव
prianka@prsindia.org

27 जुलाई, 2016